Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07– (तीन)/2014/7332
दिनांक : 28-5-14

सेवा में,

प्रबन्धक,
संत लखनदास (नागाबाबा) पचोतर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
तपेश्वरीनगर, मरदह, गाजीपुर।

विषयः–संत लखनदास (नागाबाबा) पचोतर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तपेश्वरीनगर, मरदह, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 30.04.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई, 2000** के आलोक में **05 वर्ष** की संविदा **के आधार** पर **प्राचार्य** पद पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा** तथा **इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन *नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।*** *महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत* अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत्/अनुमोदित पाया गया तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म–तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
डॉ. अखिलेश कुमार शुक्ल	श्री केदारनाथ शुक्ल	30–08–1972	एम.ए., पी.एच–डी.	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड)** अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

28/5

कुलसचिव